छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 108/2006</u>

श्री संजय सिंह,
एम.आई.जी. 1–823, आमदी नगर,
भिलाई जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

1. **जन सूचना अधिकारी,**
   कलेक्टर कार्यालय,
   दुर्ग (छत्तीसगढ़)
2. **पुलिस अधीक्षक,**
   जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)
3. **प्रबंधक,**
   नागरिक सहकारी बैंक,
   भिलाई, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थीगण

:: आदेश ::
(दिनांक 17 अक्टूबर 2006)

अपीलार्थी श्री संजय सिंह निवासी–आमदी नगर, भिलाई जिला–दुर्ग के द्वारा आयोग के समक्ष द्वितीय अपील कलेक्टर, जिला–दुर्ग के आदेश दिनांक 24–02–2006 के पत्र से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी ने अपने अपील आवेदन में यह उल्लेख किया है कि उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक तथा कार्यकारी प्रबंधक, सूचना अधिकारी, भिलाई नागरिक सहकारी बैंक, सेक्टर–6, भिलाई को भी आवेदन दिया गया था। नागरिक सहकारी बैंक को दिये गये आवेदन में स्व0 श्री निर्मल सिंह के संदर्भ में तथा स्मृति नगर गृह निर्माण सोसायटी को दिये गये ऋण की राशि के संदर्भ में जानकारी चाही थी। उनका यह आरोप है कि निर्मल सिंह के समस्त कागजात बैंक अधिकारियों ने छिपाकर रखे हैं और निर्मल सिंह के परिजनों को बैंक अधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है। कलेक्टर को आवेदन पत्र प्राप्त होने पर कलेक्टर के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया कि उनके द्वारा प्रस्तुत जानकारी संबंधी आवेदन पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग एवं प्रबंधक, नागरिक सहकारी बैंक को प्रेषित किया गया। कलेक्टर के द्वारा दिनांक 24–02–2006 को उन्हें अपील प्राप्त होने पर प्रबंधक, भिलाई नागरिक सहकारी बैंक को निर्देशित किया गया कि आवेदक को निर्धारित शुल्क लेकर जानकारी उपलब्ध कराई जावे। पुलिस अधीक्षक को भी पत्र भेजा गया। आवेदक ने

पुलिस में की गई शिकायत के संबंध में जानकारी चाही थी। जानकारी प्राप्त न होने पर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

2/ अपीलार्थी के द्वारा जानकारी मुख्यतः नागरिक सहकारी बैंक, भिलाई सेक्टर–6 से संबंधित है। कलेक्टर के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया कि वह संबंधित सूचना अधिकारी को आवेदन दे। पुलिस अधीक्षक से भी जानकारी का संबंध सीधे नहीं है। आयोग के द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं प्रबंधक नागरिक सहकारी बैंक को नोटिस जारी किया गया। कलेक्टर की ओर से जवाब प्रस्तत हुआ कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उनके द्वारा आावेदन संबंधित विभागों को भेज दिये गये । प्रत्येक विभाग के लिए पृथक से सूचना अधिकारी हैं। अतः कलेक्टर का इससे सीधा संबंध न होने से और न ही कलेक्टर कार्यालय में वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं होने से कलेक्टर जानकारी देने हेतु सक्षम हैं। पुलिस अधीक्षक की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ कि अपीलार्थी ने पुलिस से संबंधित जानकारी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने हेतु अपीलार्थी को पत्र दिनांक 02–02–2006 को सूचित किया। किन्तु अपीलार्थी के घर पर ताला लगे होने से तामिल नहीं किया जा सका। अपीलार्थी को वांछित दस्तावेज की प्रति उसके पते पर भेजकर निःशुल्क प्रदाय की जा चुकी है। भिलाई नागरिक सहकारी बैंक की ओर से कार्यकारी प्रबंधक के द्वारा दिनांक 12–07–2006 को जवाब प्रस्तुत किया गया कि भिलाई नागरिक सहकारी बैंक पंजीकृत संस्था है, जिसे शासन से अनुदान प्राप्त नहीं है। अतः उनके ऊपर सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावशील नहीं होता। दिनांक 29–6–2006 को भिलाई नागरिक सहकारी बैंक के द्वारा अपर कलेक्टर, दुर्ग को जानकारी दी गई कि स्मृति गृह निर्माण सहकारी समिति पर कुल बकाया 59,40,678/– रूपए (रूपए उन्सठ लाख चालीस हजार छैः सौ अठहत्तर) शेष हैं। बैंक के द्वारा ब्रिज लोन के लिए राशि दी गई थी, जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में वाद लंबित है।

3/ आयोग के द्वारा कार्यकारी प्रबंधक, नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भिलाई, सेक्टर–6 को सुना गया तथा अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर भी विचार किया गया। प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि नागरिक सहकारी बैंक, भिलाई सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–2(एच) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं है। क्योंकि इन्हें राज्य शासन की ओर से कोई वित्तीय अनुदान प्राप्त नहीं होता है। अपीलार्थी के द्वारा भी ऐसे कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे कि स्पष्ट हो सके कि भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, सेक्टर–6, भिलाई को राज्य शासन के द्वारा किसी प्रकार का कोई अनुदान या अंशदान प्राप्त हुआ है। भिलाई नागरिक सहकारी बैंक पृथक पंजीकृत संस्था है तथा उसके संचालन हेतु पृथक से नियम निर्मित हैं। राज्य शासन का उसके दिन–प्रतिदिन की कार्यप्रणाली पर सीधे कोई नियंत्रण नहीं है। अतः भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, सेक्टर–6, भिलाई अपीलार्थी के द्वारा वांछित जानकारी देने हेतु बाध्य नहीं है।

4/ अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त